<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर</u>

<u>प्रकरण संख्याः– 113 / 2018 (रैफरेन्स)</u>

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर।

.... **प्रार्थी**

<u>बनाम</u>

मित्तल स्टोन क्रेशर अलीपुर भुसावर जिला भरतपुर।

1. विमला देवी पत्नि शिवकुमार
2. सोम कुमार पुत्र शिवकुमार
3. सविता
4. जूली
5. प्रियंका

(3–5) पुत्रीयान शिवकुमार; (1–5) कौम वैश्य साकिन गुमट रोड वाडी जिला धौलपुर।

....................अप्रार्थीगण

6. उमेश सक्सैना पुत्र शिवचंद सक्सैना निवासी एफ–202 रामपथ श्यामविहार एक्स स्टेशन सोडला जयपुर।
7. राजेन्द्रसिंह बुंदेला पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम बुंदेला निवासी 1– वी वेदविला डी कॉलोनी रामनगर स्टेशन सोडला जयपुर।

.... **असल**

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 आदेश विरूद्ध उपखण्डाधिकारी वैर क्रमांक भू0रू0 / 06 / 9058–62 दिनांक 26.9.2006

उपस्थित :

1. पैरोकार सरकार
2. श्री पंकज कुमार वकील अप्रार्थी संख्या 6–7

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक : 6.6.2018</u>

प्रार्थी तहसीलदार भुसावर (भूमिधारी) द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खसरा नम्बर 567 / 99 रकबा 5.07 बीघा अर्थात 8661.65 वर्गमीटर का रूपान्तरण तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी वैर के आदेश क्रमांक / रूपा0 / 06 / 9058–62 दिनांक 26.9.06 से किया गया था। जिसके परिपेक्ष्य में नामान्तरकरण संख्या 1267 दिनांक 28.11.2007 से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आद्यौगिक प्रयोजनार्थ दर्ज की गई थी। जिसे भूमि रूपान्तरण नियमों के विपरीत पाये जाने के कारण भूमिधारी की हैसियत से यह रैंफरेंस वास्ते भू सम्परिवर्तन आदेश निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जिसमें अंकित किया है कि विवादित संपरिवर्तित भूमि ग्राम अलीपुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है और प्रार्थी / तहसीलदार लैण्ड होल्डर की हैसियत से रैंफरेंस प्रस्तुत करने में सक्षम है। खसरा नम्बर 567 / 99 रकबा 5.07 बीघा अर्थात 8661.65 वर्गमीटर का रूपान्तरण तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी वैर के आदेश क्रमांक / रूपा0 /

06/ 9058–62 दिनांक 26.9.06 से किया गया था। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 2.4.2007 के बिन्दु संख्या 4 सी के अनुसार औद्योगिक रूपान्तरण आबादी से 1.5 कि0मी0 की त्रिज्या में दूरी होना आवश्यक है। इसके अलावा इस स्टोन क्रेशर के पूर्व दिशा में ग्राम अलीपुर की आबादी 660 मीटर एवं पश्चिम में ग्राम जसवर की आबादी 1350 मीटर की दूरी पर है इसलिऐ ये क्रेशर आबादी से निर्धारित दूरी पर नहीं है। इसके अलावा मौके पर क्रेशर की चार दिवारी का निर्माण नहीं किया गया है। इस स्टोन क्रेशर पर कन्वेयर टीन शैड व वाटर कम्प्रेशर सिस्टम भी स्थापित नहीं है और न ही क्रेशर के एक तिहाई भाग में वृक्षारोपण किया गया है। इस स्टोन क्रेशर के संचालित रहने से धूल मिट्टी उडती रहती है जिससे भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। तहसीलदार भुसावर द्वारा उपरोक्तानुसार रैफरेंस प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निर्धारित मापदण्ड मुताबिक उक्त स्टोन क्रेशर स्थापित नहीं होने के कारण संपरिवर्तन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 10.5.2018 को श्री उमेश पुत्र शिवचन्द सक्सैना निवासी सोडाला जयपुर एवं राजेन्द्रसिंह बुंदेला पुत्र श्री राधेश्याम बुंदेला निवासी सोडाला जयपुरके एक प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त प्रश्नगत मिततल स्टोन क्रेशर को उनके द्वारा सितम्बर 2014 में क्रय करना बताते हुये पक्षकार बनाने की प्रार्थना की है। बेचाननामा का अवलोकन कर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इन्हें इस रैफरेंस में पक्षकार बनाया जाता है। अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। नियत दिनांक को उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये रैफरेंस में अंकित सभी तथ्यों को रिकार्ड एवं मौके से विपरीत होना जाहिर करते हुये अपनी बहस तर्कों में मुख्य कथन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 6–7 वर्णित भूखण्ड के एकमात्र स्वामी व मालिक हैं। मित्तल स्टोन क्रेशर ग्राम अलीपुर को अप्रार्थीगण संख्या 6–7 द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1–5 से क्रय कर लिया है। अधिसूचना दिनांक 2.4.2007 रूपान्तरण आदेश के बाद की है जो इस रूपान्तरण पर लागू नहीं होती है। यह रूपान्तरण उस समय प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानक पूरे होने पर किया गया है जो आज भी विधिवत है। उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी का भूमि रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर तत्कालीन तहसीलदार वैर व अन्य राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट चैक लिस्ट के आधार पर अप्रार्थी के स्टोन क्रेशर की निर्धारित आबादी क्षेत्र की दूरी से अधिक स्थित होने के कारण ही भूमि का रूपान्तरण किया गया है।

प्रार्थी के द्वारा ग्राम अलीपुर की आबादी 660 मीटर एवं ग्राम जसवर की आबादी 1350 मीटर की दूरी पर स्टोन क्रेंशर स्थित होना गलत अंकित किया है। वक्त रूपान्तरण तैयार की गई चैक लिस्ट में दूरी को दर्शाया गया है । दौराने रूपान्तरण तैयार चैक लिस्ट की बिन्दु संख्या 19 में प्रस्तावित स्थल को निर्धारित दूरी से अधिक अर्थात ग्राम अलीपुर को 2200 मीटर ग्राम जसवर को 2600 मीटर की दूरी पर माना है। इस चैक लिस्ट पर स्वयं तहसीलदार वैर एवं पटवारी हल्का के हस्ताक्षर मौजूद है जिसकी बिन्दु संख्या 19 में उक्त स्थल से उक्त दोनो गांवों की आबादी की दूरी को स्पष्ट अंकित किया गया है। तहसीलदार वैर द्वारा बिन्दु संख्या 26 में भी उक्त स्थल को निर्धारित दूरी से अधिक माना है। इसके अलावा यह रूपान्तरण राज0 भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के तहत उक्त रिपोर्ट के आधार पर किया गया है

जो तत्कालीन नियमों के परिपेक्ष्य में बाद जांच नियमानुसार पाये जाने पर ही किया गया है।

उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी की स्टोन क्रेशर पर चार दिवारी का निर्माण हो रहा है एवं क्रेशर संचालन में पानी की मात्रा का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है तथा रास्ते में पानी का छिडकाव भी किया जाता है अन्य जो कथन टीनशैड वाटर कम्प्रेशर सिस्टम एवं वृक्षारोपण की जो अनियमितता प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित की गई है वह मौके के विपरीत है। अप्रार्थी द्वारा पर्यावरण व लोगों के स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुये ध्यान रखते हुये ही स्टोन क्रेशर का संचालन किया जा रहा है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा स्टोन क्रेशर संचालन हेतु राज0 राज्य प्रदूषण बोर्ड के नियम व निर्देशों की पालना की जा रही है। वर्तमान में समस्त विधिक औपचारिकताऐं पूर्ण है तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने भी कोई एतराज नहीं किया है और ना ही क्रेशर से कोई प्रदूषण होना माना गया है। वास्तव में अप्रार्थी का स्टोन क्रेशर आबादी की निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर स्थित है। तहसीलदार भुसावर के द्वारा रैफरेंस प्रार्थना पत्र में आबादी की गणना खेतों में बसे घरों की जाकर अपने प्रार्थना पत्र में अनियमितता होना अंकित किया गया है जबकि राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप (6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प0. 10(8) राज–6/2001/6 जयपुर दिनांक 28.3.2007 एवं परिपत्र क्रमांक प.9(98) राज.6/2014/1 जयपुर दिनांक 28.4.2016 के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किये गये है। जिसमें दूरी मुख्य आबादी की बाहरी सीमा से गणना योग्य है। उनका यह भी कथन है कि वक्त भूमि रूपान्तरण आदेश तिथि को गांव की मुख्य आबादी से निर्धारित दूरी पर ही मौके पर स्थित होने के कारण ही चैक लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार रूपान्तरण किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी उपखण्डाधिकारी वैर के आदेश भूमि रूपान्तरण के विरूद्ध रैफरेंस प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे। अप्रार्थी के द्वारा यह भी कथन किया कि उनके द्वारा भारी ऋण एवं उधार लेकर मौके पर स्टोन क्रेशर का संचालन नियमानुसार किया जा रहा है। अतः प्रस्तुत रैफरेंस प्रार्थना पत्र मौके के विपरीत अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजकीय अभिभाषक एवं वकील अप्रार्थी की बहस तर्कों पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में मुख्यतः बिन्दु जो उठाये है वह रूपान्तरित भूमि का आबादी से निर्धारित दूरी पर न होना, मौके पर क्रेशर की चार दिवारी कन्वेयर टीन शैड व वाटर कम्प्रेशर सिस्टम वृक्षारोपण का अभाव एवं क्रेशर से वायु प्रदूषण होना माना है। रूपान्तरण आदेश पारित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी (एसडीओ) वैर ने दौराने रूपान्तरण तहसीलदार वैर द्वारा तैयार चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या 19 एवं 26 में उक्त स्थल की दूरी को आबादी से निर्धारित दूरी से अधिक होना ही स्पष्ट किया है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि दौराने पारित रूपान्तरण आदेश तहसीलदार द्वारा स्वयं जो कि रैफरेंसकर्ता भी है के द्वारा उक्त रूपान्तरित स्थल को आबादी से निर्धारित दूरी से अधिक माना है। इस चैक लिस्ट पर तत्कालीन तहसीलदार वैर के भी हस्ताक्षर मौजूद है। साथ ही चैक लिस्ट पर उपखण्डाधिकारी वैर द्वारा बाद जांच एवं मौका निरीक्षण इस रूपान्तरण की कार्यवाही की गई है। यह तथ्य चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या 26 में स्पष्ट प्रमाणित किया है कि प्रस्तावित प्लांट से कोई भी आबादी निर्धारित दूरी के दायरे में नहीं आती है। इस प्रकार दौराने पारित रूपान्तरण आदेश तैयार चैक लिस्ट से वर्तमान रिपोर्ट का परस्पर विरोधाभासी होना

Web Copy - Not Official

स्पष्ट जाहिर हो रहा है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2006 में नियमानुसार औपचारिकताऐं पूर्ण कर जारी रूपान्तरण आदेश में अंकित प्रस्तावित भूमि की दूरी पर आज प्रश्नचिन्ह लगाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप (6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प0. 10(8) राज–6/2001/6 जयपुर दिनांक 28.3.2007 एवं परिपत्र क्रमांक प.9(98) राज.6/2014/1 जयपुर दिनांक 28.4.2016 के द्वारा भी आबादी की गणना के संबध में स्पष्ट किया है कि आबादी की दूरी की गणना गांव की मुख्य आबादी से होगी न कि गांव की ढाणी अथवा मजरे से। यह दूरी दौराने पारित आदेश के वक्त देखी जानी होती है। इस प्रकरण में भी दौराने रूपान्तरण आदेश एसडीओ/तहसीलदार द्वारा उक्त स्थल को आबादी से 2 कि0मी0 से ज्यादा दूरी पर होना ही माना गया है। यह रूपान्तरण आदेश राज0 भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में नियमानुसार निर्धारित तय दूरी होने पर ही उक्त आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त रूपान्तरण आदेश के परिपेक्ष्य में जो नामान्तरकरण खोला गया है उसे भी अभी तक कोई चुनौती नहीं दी गई है। जहां तक प्रदूषण एवं अन्य मानदण्डों की बात है उसके लिये रैफरेंसकर्ता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को लिखने हेतु स्वतन्त्र है । पर्यावरण प्रदूषण संबधी कानून एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 दोनो ही अपने आप पृथक–पृथक सारगर्भित एवं परिपूर्ण कानूनी प्रक्रियाऐं है जिन्हें एक साथ मिला कर देखा जाना विधसम्मत एवं न्यायोचित नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन रैफरेंस विरोधाभासी तथ्यों के कारण स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

अतः प्रार्थनापत्र रैफरेंस इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तहसीलदार (रैफरेंसकर्ता) भुसावर स्वयं के स्तर पर दूरी संबधी जांच कर यदि कोई विरोधाभास पाया जाये तो नये सिरे से कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगें। रैफरेंस प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 6.6.2018 सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official